न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 162/2020

GCMS No. : 2020/00295

–: प्रार्थी :–	**बनाम**	**–: अप्रार्थीगण :–**
1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1. सुधांशु पुत्र महावीर 2. हिमांशु पुत्र महावीर जातियान–जैन, सा0 जैतारण जिला– पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू –: 24.11.2020

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण, पैरोकार सरकार।
2. श्री धर्मेश जांगिड़, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक :– 16/06/2022**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि हाल **खसरा नंबर 47/160 कुल रकबा 02–01 बीघा, मौजा पातुस** में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। अप्रार्थीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। यह है कि प्रतिवादी नंबर 01 व 02 ने जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित **प्लॉट काटकर सड़क निर्माण** कर जमीन का खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका अप्रार्थीगण को हक नहीं है अप्रार्थीगण ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं दावा हाजा के लिए मुखासमत **दिनांक 12.10.2020** को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने वादी को अप्रार्थीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से कंकरीट डालकर स्टाक का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177, 92क, आर.टी.एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरुद्ध अप्रार्थीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द न करे, अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा वकालतनामा पेश हुआ जो सामिल मिसल है। अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:41 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

की ओर से वकील धर्मेश जांगिड़ ने वकालतनामा व जवाबदावा पेश किया, शामिल मिसल किया गया। जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित तमाम कथन सही होने से प्रतिवादीगण स्वीकार करते है। वादपत्र के पद संख्या 2 का जवाब है कि उक्त भूमि खसरा संख्या 47/160 रकबा 2-01 बीघा बिस्वा सरहद मौजा पातूस तहसील जैतारण की कृषि भूमि है और इस कृषि भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा आज दिन तक कृषि से संबंधित तथा एक कृषक खातेदार को प्राप्त कानूनी प्रावधान और अधिकार के तहत कृषि से संबंधित ही कार्य किए गये है। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि में कोई भी अकृषि कार्य नही किया गया है। तथा ना ही प्रतिवादीगण द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि को खुर्द बुर्द किया गया है। प्रतिवादीगण अपनी उक्त भूमि को कृषि के रूप में कार्य में ले रहा है। प्रतिवादीगण ने अपनी उक्त कृषि भूमि की किस्म में कोई परिवर्तन नही किया है तथा ना ही प्रतिवादीगण ने राजस्थान सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाया है, आज दिन तक मौके पर बबूल के पेड़ व एक खेजड़ी प्रतिवादीगण की कृषि भूमि में खड़े है, जिसकी फोटोग्राफ संख्या 8 जवाबदावा के साथ पेश किय गया है, जिनमें ए, बी, सी, डी भाग लाल कलर से प्रतिवादीगण की कृषि भूमि को दर्शाया गया है, जो आज दिन तक प्रतिवादीगण की कृषि भूमि होने का प्रमाण है। दिनांक 12.10.2020 को पटवारी हल्का द्वारा वादी को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अवैध रूप से प्लॉट काटकर सड़ंक निर्माण व पत्थरगढी का कार्य करने की सूचना जरिए रिपोर्ट दी, जो कार्यवाही आधारहीन व मनगढ्त होने से प्रतिवादीगण अस्वीकार करते है। उक्त रिपोर्ट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरीत है, क्योकि पटवारी हल्का द्वारा जो मौका देखा गया उसकी सूचना न तो प्रतिवादीगण को दी और न ही प्रतिवादीगण की उपस्थिति में देखा गया। उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा वादी को दी गई, वह मात्र और मात्र बनावटी है। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि पर आंदिनांक तक कृषि प्रयोजनार्थ ही उपयोग किया जा रहा है, प्रतिवादीगण ने उक्त कृषि भूमि का अकृषि उपयोग नही किया है तथ ना ही प्रतिवादीगण ने अपनी कृषि भूमि में कोई प्लॉट काटे है तथा ना ही कोई सड़क निर्माण कर पत्थरगढी की है। पटवारी हल्का द्वारा वादी को दिनांक 12.10.2020 को गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा वादी द्वारा उक्त वादपत्र गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया गया होने के कारण वादी के उक्त वादपत्र को खारिज करने के आदेश फरमावे। बहस प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण की सुनी गई।

भू. अ. निरीक्षक वृत. जैतारण एवं पटवार हल्का जैतारण की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 11.05.2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पातुस के खसरा संख्या 47/160 रकबा 0.3318 हैक्टर प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है, मौके पर उक्त भूमि वर्तमान में खाली पड़ी है, मौके पर [illegible] बबूल खड़े है, राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति के अनुसार गत कई वर्षो से फसल बुवाई होना नही पाया गया है। उक्त खसरा संख्या 47/160 में वर्तमान में प्लॉटिंग या सड़क नही बनायी हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:41 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

1. तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी जो कि कृषि भूमि है को खातेदार द्वारा बिना संपरिवर्तन कराये मौके पर प्लॉट काटकर सड़क निर्माण व पत्थरगढी का कार्य करके अकृषि प्रयोजन में काम मे लिया जा रहा है। जिसके लिए कोई अनुमति नही ली गई है, अतः वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा से इस बाबत् पाबंद किया जाये कि वे वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द नही करे।

2. वादपत्र के साथ प्रस्तुत पटवारी बिरोल की मौका फर्द दिनांक 12.10.2020 के अनुसार वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी मौजा पातुस खसरा संख्या 47/160 रकबा 2-01 बीघा किस्म चाही दोयम का मौके पर कृषि भूमि को अवैध रूप से प्लॉटिंग कर सड़क निर्माण व पत्थरगढी कर प्लॉट काटकर बिना सक्षम स्वीकृति एवं बिना संपरिवर्तन कराये कृष्ज्ञि भूमि को अकृषि काम में ले रहे है।

3. प्रतिवादीगण खातेदारान् द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वादपत्र का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी जो कि कृषि भूमि का आज दिन तक कृषि से संबंधित कार्य ही किए गए है। कोई भी अकृषि कार्य नही किया गया है। आज दिन तक मौके पर प्रतिवादीगण की आराजी में बबूल के पेड़ व एक खेजड़ी का पेड़ खड़ा है। पटवारी द्वारा दिनांक 12.10.2020 को वादग्रस्त आराजी पर अवैध रूप से प्लॉट काटकर सड़क निर्माण व पत्थरगढी के संबंध में दी गई रिपोर्ट मनगढत व झूठी है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पोषणीय नही होने से खारिज फरमावे।

4. प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण से वादग्रस्त आराजी की नवीनतम मौका रिपोर्ट तलब की गई, भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नवीनतम मौका रिपोर्ट दिनांक 03.06.2022 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में सुधांशु हिमांशु पि0 महावीर की खातेदारी भूमि है जो मौके पर खाली पड़ी है जिसमें अंग्रेजी बबूल खड़े है विगत कई वर्षो से कृषि कार्य होना नही पाया गया है संवत् 2074 से खसरा गिरदावरी में फसल दर्ज नही है। वर्तमान में मौके पर प्लॉटिंग या सड़क इत्यादि बनी हुई नही है। इसी खसरा संख्या 47/160 के पश्चिम दिशा के चिपते हुए खसरा संख्या 47/159 में वर्तमान में सड़क बनाकर प्लॉटिंग कर रखी है। मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत मौके के फोटोग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी मौके पर खाली पड़ी है जिसमें बबूल की झाड़िया एवं खेजड़ी का पेड़ खड़ा है तथा चारो ओर तारबंदी कर रखी है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत मौके के फोटोग्राफ एवं भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ दोनो से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के मौके पर प्लॉटिंग एवं सड़क आदि निर्मित नही होकर मौके पर भूमि खाली पड़ी है जिसमें बबूल की झाड़िया तथा खेजड़ी का पेड़ है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:41 IST
Reason: SelfAttested

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी मौके पर खाली पड़ी है जिसमें प्लॉटिंग एवं सड़क निर्माण आदि निर्मित नही है तथा बबूल की झाड़िया एवं खेजड़ी का पेड़ खड़ा है जिससे यह नही माना जा सकता कि खातेदारान् द्वारा मौके

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य किया है अतः वादपत्र बखूबी साबित नही होने से इसे खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित नही होनें एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 16/06/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:20:41 IST
Reason: SelfAttested